

2022 का विधेयक संख्यांक 219

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6— कर्नाटक, प्रविष्टि 16, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“16. काडू कुरुबा, बेट्टा-कुरुबा”;

संक्षिप्त नाम।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950
प्रविष्टि 16 का
संशोधन ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, "अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. संविधान का अनुच्छेद 342 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां— (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1950 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस सूची को समय-समय पर उपांतरित किया गया था। कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 4) द्वारा उपांतरित किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने, कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 16 में "काडू कुरुबा" के समानार्थी के रूप में "बेट्टा-कुरुबा" समुदाय को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।

4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके कर्नाटक राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने का प्रस्ताव है।

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 6-कर्नाटक की अनुसूची को, "काडू कुरुबा" के साथ "बेट्टा-कुरुबा" को सम्मिलित करने के लिए प्रविष्टि 16 को

प्रतिस्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 नवंबर, 2022

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची का संशोधन करके संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है। कर्नाटक राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित स्कीमों को जारी रखने के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित फायदों के लेखे अतिरिक्त व्यय हो सकता है।

2. इस प्रक्रम पर इस लेखे उपगत अतिरिक्त व्यय का आकलन करना संभव नहीं है। तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर ही किया जाएगा।

उपाबंध
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं० आ० 22) से

उद्धरण

* * * * *

अनुसूची

* * * * *

भाग 6---कर्नाटक

* * * * *

16. काडू कुरुबा

* * * * *

